

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003



Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

संख्या: प्रशासन/लेखा परीक्षा/ए/2026/1/1320767/2026

दिनांक: 18.02.2026

कार्यालय आदेश

मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र संख्या 43-Staff Wing/2025, दिनांक 21.11.2025 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा तथा केन्द्रीय व्यय लेखापरीक्षा के दो (02) केन्द्रीकृत संवर्गों के सृजन को, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के स्तर पर, स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4.1.1 एवं 4.1.2 में राजस्व तथा व्यय लेखापरीक्षा के केन्द्रीकृत संवर्गों हेतु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की अस्थायी संवर्गीय संख्या दर्शाई गई है।

उपर्युक्त के क्रम में, मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 104/Staff (S&R)/CRA & CEA/20-2025 दिनांक 11.02.2026 द्वारा इस कार्यालय के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) संवर्ग के दो (02) पदों तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) संवर्ग के पाँच (05) पदों को दिनांक 01.01.2026 से कम कर दिया गया है। उक्त पदों को नए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, अर्थात् भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मुख्यालय) के अधीन उपर्युक्त केन्द्रीकृत संवर्गों में समाहित किया गया है तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित केन्द्रीय मंत्रालयों के व्यय एवं प्राप्ति/राजस्व इकाइयों के लेखापरीक्षण हेतु प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़ के कार्यालय को आबंटित किया गया है।

In terms of Headquarters Office Circular No. 43-Staff Wing/2025 dated 21.11.2025, the C&AG of India has accorded approval for the creation of two (02) centralized cadres, viz Central Revenue Audit (CRA) and Central Expenditure Audit (CEA), at the levels of Sr. Audit Officer and Asstt. Audit Officer. Further, the tentative cadre strength of Sr. Audit Officers and Asstt. Audit Officers for centralized cadres of Revenue and Expenditure Audit has been indicated vide paragraphs 4.1.1 and 4.1.2 of the Hqrs. office circular ibid.

In continuation of the above, Hqrs. office vide letter No. 104/Staff (S&R)/CRA & CEA/20-2025 dated 11.02.2026 has conveyed the withdrawal/reduction of **two (02) posts** in the cadre of **Sr. Audit Officer (Civil)** and **five (05) posts** in the cadre of **Asstt Audit Officer (Civil)** with effect from 01.01.2026. The withdrawn posts have been encadred to the aforesaid centralized cadres under the new cadre-controlling authority, viz., the Office of the C&AG of India (Hqrs.) and allocated to the office of the Pr. Director of Audit (Central), Chandigarh for audit of expenditure and receipts/revenue units of Central Ministries located in the State of Himachal Pradesh.

Accordingly, the revised sanctioned strength in the cadres of Sr. AO (Civil) and AAO (Civil) in this office shall be as under with effect from 01.01.2026:

Sr. No.	Cadre	Sanctioned strength	Posts withdrawn		Revised Sanctioned strength
			For CRA	For CCA	
1.	Sr. Audit Officer (Civil)	62	01	01	60
2.	Asstt. Audit Officer (Civil)	136	03	02	131

प्राधिकर: प्रधान महालेखाकार आदेश दिनांक: 18-02-2026

हस्ता/-

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या: प्रशासन/ले०प०/संस्वीएवंस्वी०/सिविल/2025-26/I/1320767/2026 18-02-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही तथा सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार ।
2. निजि सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) ।
3. निजि सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- I)
4. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- II)
5. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- III)
6. कल्याण अधिकारी ।
7. कार्र्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़
8. वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०व हक०), हि०प्र० शिमला ।
9. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ।
10. प्रशासन अनुभाग (सम्बंधित सहायक) ।
11. 'ए' क्रम फाइल ।

Digitally signed by
Rakesh Bhan
Date: 18-02-2026

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

Phone: +91-177-2652607

E-mail: agauhimachalpradesh@cag.gov.in